भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2727
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: रासायनिक उर्वरकों द्वारा मृदा संदूषण

2727. श्री धर्मबीर सिंहः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अध्ययनों से यह पता चला है कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषित हो रही मिट्टी और पेयजल से ग्रामीण भारत में जन स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) क्या यूरिया और अन्य उर्वरकों से होने वाला नाइट्रेट संदूषण ग्रामीण युवाओं में कैंसर और तंत्रिका संबंधी रोगों के बढ़ते मामलों से जुड़ा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जैव-उर्वरकों, जैविक विकल्पों और उर्वरकों का जिम्मेदारी के साथ उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने सिंथेटिक आदानों पर निर्भरता कम करने के लिए किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम या स्कूल अभियान शुरू किए हैं; और

(ङ) क्या सरकार इस रसायन-जनित स्वास्थ्य जोखिम से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समन्वय कर रही है**?**

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख) यदि संतुलित और विवेकपूर्ण तरीके से उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, तो मृदा उर्वरता पर उनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), पाँच दशकों से चल रही "दीर्घकालिक उर्वरक प्रयोगों" पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के परिणामों के आधार पर, पादप पोषक तत्वों के अजैविक और जैविक दोनों स्रोतों (खाद, जैव उर्वरक, हरी खाद, फसल अवशेषों का स्थानीय पुनर्चक्रण आदि) के संयुक्त उपयोग के माध्यम से संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की सिफारिश कर रही है। इसके अतिरिक्त, उर्वरकों का विभाजित अनुप्रयोग, नीम-लेपित यूरिया सहित धीमी गति से निकलने वाले उर्वरकों का उपयोग और दलहनी फसलें उगाने का समर्थन किया जाता है।

(ग) भारत सरकार ने उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 में वैकल्पिक उर्वरकों अर्थात् जैविक उर्वरक, जैव-उर्वरक, डी-ऑइल केक, जैविक कार्बन वर्धक और नैनो उर्वरक को अधिसूचित किया है ताकि ऐसे उर्वरकों की आपूर्ति और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परम्परागत कृषि विकास

योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला योजना (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है। पीकेवीवाई के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, किसानों को जैविक खाद सहित ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। एमओवीसीडीएनईआर के तहत, किसान उत्पादक संगठन के गठन, जैविक इनपुट के लिए किसानों को समर्थन आदि हेतु 3 वर्षों में 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, किसानों को ऑफ-फार्म/ऑन-फार्म जैविक इनपुट के लिए 32,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है जिनमें किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 15,000 रुपये भी शामिल है।

सरकार बाज़ार विकास सहायता (एमडीए) योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसके अंतर्गत कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों/उर्वरक मार्केटिंग कंपनियों को मृदा कार्बन संवर्द्धक, जैसे किण्वित जैविक खाद (एफओएम)/तरल किण्वित जैविक खाद (एलएफओएम) और गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबरधन) पहल के अंतर्गत संयंत्रों में उत्पादित जैविक उर्वरक, जैसे कि फॉस्फेट युक्त जैविक खाद (पीआरओएम) को बढ़ावा देने के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से सहायता प्रदान की जाती है। दिनांक 23.07.2025 तक, वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए एमडीए के तहत 54 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

(घ) एवं (ङ) भारत सरकार सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) जारी किए जाते हैं, जिससे उन्हें मिट्टी की उर्वरता की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है और उर्वरकों, सूक्ष्म पोषक तत्वों और वृहद पोषक तत्वों की मात्रा की सिफारिश की जाती है। इसके अतिरिक्त, एसएचसी इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरकों की मात्रा और बोई जाने वाली फसल के प्रकार की भी सिफारिश करता है। किसानों को तैयार किए गए एसएचसी के आधार पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) और कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के माध्यम से सलाह जारी की जाती है। देश भर में सॉइल हेल्थ कार्ड की सिफारिशों पर 93,781 किसान प्रशिक्षण, 6.80 लाख प्रदर्शन, 7,425 किसान मेले/अभियान आयोजित किए गए हैं। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए), कृषि विज्ञान केंद्र जैसे कृषि विस्तार कार्यकर्ता भी एसएचसी की सिफारिश के बारे में किसानों को जानकारी देने में तत्पर हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत, 1,020 स्कूलों में स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम का एक घटक भी कार्यान्वित किया गया है ताकि छात्रों के युवा मन में मृदा के महत्व को समझाकर उनके व्यवहार में परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 1.32 लाख छात्रों को मृदा नमूनाकरण, परीक्षण, सॉइल हेल्थ कार्ड (एसएचसी) तैयार करने और सॉइल हेल्थ कार्ड (एसएचसी) की सिफारिशों के अनुसार किसानों को उर्वरकों के उचित उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए नामांकित किया गया है। चूँकि उर्वरकों के संतुलित उपयोग से स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

******